5.5 Revised Order regarding mandatory online applications of three services of Forest Department i.e. Tree Felling, Tree Transit Permit & Letter for Distance from Forest from Single Window System

Ph. No. : 0135- 2749955
e-mail : ccf_monitoring@rediffmail.com

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 138 /32-2(EoDB) दिनांकः देहरादून 23, जनवरी, 2019.

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– एकल खिड़की उत्तराखण्ड सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत इन्डस्ट्रीज को Tree Felling, Tree Transit Permit व Aerial Distance से सम्बन्धित प्रकरणों का ऑनलाईन निस्तारण।

सन्दर्भः– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का कार्यालय आदेश संख्या– 170/32–एच0वी0 दिनांक 31.10.2017।

महोदय,

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के उक्त सन्दर्भित आदेश से यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि राज्य में Ease of Doing Business (EoDB) व एकल खिड़की सुगमता (Single Window Clearance) के क्रियान्वयन हेतु इन्डस्ट्रीज द्वारा Tree Felling, Tree Transit Permit से सम्बन्धित उन्हीं आवेदनो का निस्तारण किया जाय जो विभाग की Website www.ukfdonline.com में प्राप्त हों। यह भी निर्देश दिये गये थे कि इन आवेदनों का निस्तारण अनिवार्य रूप से Online ही किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त Single Window Clearance के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2018 के अन्तर्गत वन विभाग से सम्बन्धित एक अन्य ऐप्लीकेशन Letter for Distance from forests (Aerial Distance) को भी सम्मिलित किया गया है।

उक्त क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 24.01.2019 से प्रभागों में इन्डस्ट्रीज द्वारा Tree Felling, Tree Transit Permit व Letter for Distance from forests (Aerial Distance) से सम्बन्धित आवेदनों का निस्तारण अनिवार्य रूप से ऑनलाईन ही किया जाय, ऑफलाईन निस्तारण किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा और इसे अनियमितता माना जायेगा। इन स्पष्ट निर्देशों के पश्चात भी यदि किसी प्रभाग स्तर पर अन्यथा कार्यवाही की जाती है तो इस अनियमितता के लिए सम्बन्धित प्रभाग उत्तरदायी होंगे।

यह भी स्पष्ट करना है कि वन विभाग स्तर पर Tree Felling, Tree Transit Permit व Aerial Distance से सम्बन्धित एप्लीकेशन डेवलप कर राज्य स्तरीय एकल खिड़की पोर्टल से Integrate किया जा चुका है और यह ऐप्लीकेशन कार्य कर रहे हैं।

इन ऐप्लीकेशन का उपयोग करने हेतु तकनीकी दिशा निर्देश अलग से प्रेषित किये जा रहे हैं।

भवदीय,
23.1.19

(सन्तोष विजय शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0
एवं आधुनिकीकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5.6 Order regarding deciding of timelines of 10 Days for 'Letter for Distance from Forest' & Fee of INR 1500/-

कार्यालय

मुख्य वन संरक्षक, निगरानी, मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 142 /21–39(IT) दिनांक: देहरादून,24 जनवरी 2019।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम,
उत्तराखण्ड।

विषय– **Compliances of DIPP's BRAP (Business Reforms Action Plan) 2018-19 & Action Points for Chief Secretary review meeting scheduled on 24 .01.2019.**

सन्दर्भ:–आपका पत्रांक 534/PS/Pr.Secy-MSME/2019, दिनांक 22.01.2019।

महोदया,

आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि Business Reforms Action Plan-2018–19 में वन विभाग हेतु चिन्हित सेवा Letter for Distance from Forest (Aerial Distance) का Application तैयार कर आनलाईन करने के साथ ही इसे एकल खिड़की सुगमता Portal से Integrate भी कर दिया गया है।

इस एप्लीकेशन हेतु **10 दिन की टाईमलाईन निर्धारित की** गई है। सुविधा के लिए इस Timeline को दर्शाते हुए Flow Chart की प्रति संलग्न की जा रही है।

संलग्नक–उक्तानुसार

भवदीय,
24.1
(सन्तोष विजय शर्मा),
मुख्य वन संरक्षक,
निगरानी,मूल्यांकन,आई0टी0
एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक तद्दिनांकित

प्रतिलिपि:–अपर सचिव वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्रांक 72/x–3–19–08(01)/2017 दिनांक 23.01.2019 के क्रम में संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24.1
(सन्तोष विजय शर्मा),
मुख्य वन संरक्षक,
निगरानी,मूल्यांकन,आई0टी0
एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C

Ph. No.: 0135- 2749955
e-mail : ccf_monitoring@rediffmail.com

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 163 /32-2 (EoDB) दिनाँक: देहरादून 11 फरवरी, 2019.

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः– एकल खिड़की उत्तराखण्ड सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत इन्डस्ट्रीज को Aerial Distance से सम्बन्धित प्रकरणों का ऑनलाईन निस्तारण।

महोदय,

अवगत कराना है कि वन विभाग द्वारा राज्य में Ease of Doing Business (EoDB) व एकल खिडकी सुगमता (Single Window Clearance) के अन्तर्गत Letter for Distance from forests (Aerial Distance) से सम्बन्धित दी जा रही सुविधा के लिए प्रति सेवा रू0 1500.00 का शुल्क निर्धारित किया गया है। इस शुल्क का भुगतान इस Application में प्रस्तावित Payment Gateway के माध्यम से ही किया जाना होगा।

भवदीय,
11.2

(सन्तोष विजय शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0
एवं आधुनिकीकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 163 /32-2 (EoDB) तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक पत्रांक– 3490/32–1 दिनांक 28.01.2019 के क्रम में।
2- निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस कार्यालय के पत्रांक– 151/32–1 (EoDB) दिनांक 31.01.2019 के क्रम में।

11.2

(सन्तोष विजय शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0
एवं आधुनिकीकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C